

In the court of circle officer at Deoghar
 M.C. NO - 106/1/2010-11 D.D. 15-02-11
 Applicant - Sanyay Kumar copy of final order
 Date of application 24-2-11 Date of filing 26-2-11 Date of lead 28-2-11 Date of delivery 28-2-11

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद आवेदक/आवेदिका श्री संजय कुमार

15/2/11

पिता/पति श्री नरसिंह प्रसाद वर्मा
 साकिन पुरानी बाजार 211310, थाना 211310
 जिला जमुई द्वारा दाखिल आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। आवेदक/आवेदिका
 मौजा 2 चामराज (कां० 210), थाना सं० 413

जमाबन्दी संख्या 15/3180 अं०, रकवा 1418 वर्ग फीट
 का नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल की है। दाखिल आवेदन के आधार पर तबन्धित हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक से स्थानीय वो राजस्व अभिलेखों का जाँच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् सोलह आना रैयत को आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन तथा दाखिल कृगजात के अनुसार आवेदक/आवेदिका द्वारा नामान्तरण हेतु प्रस्तावित जमीन निबन्धित केवाला संख्या 3001, तनाक 25/10/2010 द्वारा प्राप्त कर शान्तिपूर्ण दखलकार हैं। विषयगत जमीन बसोड़ी सत्य की है तथा भू-शान्ति लीज एवं भू-हदबन्दी से मुक्त है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक विषयगत जमीन का नामान्तरण आवेदक/आवेदिका के नाम से स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की है एवं अंचल जमीन ने भी नामान्तरण की अनुशंसा की है।

अतः हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक की अनुशंसा, निबन्धित केवाला, शान्तिपूर्ण दखल-कब्जा एवं अनापत्ति के आधार पर मौजा 2 चामराज (कां० 210), थाना सं० 413, जमाबन्दी सं० 15/3180 अं०, दाग नं० 1418 वर्ग फीट का नामान्तरण आवेदक/आवेदिका श्री संजय कुमार पिता/पति श्री नरसिंह प्रसाद वर्मा साकिन पुरानी बाजार 211310, थाना 211310 जिला जमुई के नाम से किया जाती है। अनुशंसित लगान 10.00 रु० अलावे सेस वसूलनीय होगा। आवेदक/आवेदिका से 2.00 रुपये ना० शुल्क प्राप्त करें। कार्यवाह सहायक शुद्ध पत्र निर्गत करें तथा अनुपालन हेतु हल्का कर्मचारी को हस्तगत करावें।

टंकित कराया एवं शुद्ध किया।

अंचल अधिकारी,
 देवघर।

अंचल अधिकारी,
 देवघर।

हस्ताक्षर प्रमाणित प्रतिलिपि
 28/2/11
 अंचल कार्यालय, देवघर
 1877 के अं० क्र० 1 को द्वारा
 70 के अं० अंकित।

नकल किया मिला
 28/2/11
 मिला किया



15/2/11

For the court of 00. at District No. 106/2010-18-2, 15-2-11
 Applicant - Sany Kumar copy of Correction Slip

क्रम में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (शैयतों) का नामान्तरण (दाखिल-खारिज) दिखाने वाला शुद्ध पत्र

दिनांक- 10/11/2010 अग्रपुस्तक- दिनांक- अंचल- दिनांक- इस्टेट का नाम- 2002/2003

क्रमांक	नामान्तरण क्रम संख्या (पंजी 27 ::)	गाँव	एरना संख्या	नामान्तरण से संबंधित अधिपति का संख्या	नामान्तरण में अंतर्गत आने वाले अधिधार और आदेश का संख्या	नामान्तरण किस कारण से होता है- विक्री, दान, विधिवत, उत्तराधिकार या दस्तावेज द्वारा है ?	नामान्तरण से प्रमाणित मान्यता का पूरा खाना	कार्रवाई द्वारा इच्छा पूर्ण किया जाना चाहिए या नहीं ?	अध्यायिका
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		शैयतों का नाम (का. 0 27 0)	413	15/3180	का. 0 27 0	विक्रय पर	पूर्व जमा शैयत-शुद्ध 15/3180 का नं. 0- दान नं. 0- फूल रकवा- लगान- 5.00 रु. नई शीटिंग में दर्ज किए जानेवाले शैयत का नाम- श्री राजा कुमार पित्तलपति श्री नरसिंह प्रसाद वरदानाथ पत्नी-शुशुली बाजार शाखा, धराना-शाखा, जिला जमुई। दाखिल-खारिज की जानेवाली जमीन का रकवा- 1418 चौकी अलावे सेस वयूनीय। इच्छा इन्तर्देशी आदेश का अनुपालन करें।		

प्रतिलिपि :- कर्मचारों, रु. 0 30 की जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाती है।

28-2-11
 नकल किया मिलान किया

सद्वती प्रमाणित पति लिपि
 28/2/11
 1872 के नंबर नमम 1 को द्वारा
 70 के नंबर अधिधरत 1

